	हुक्म या कार्यवाही मय इनकिनत जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	21-7-2020 पत्रावली पेश हुई/सरकार द्वारा लोकडाउन/ ~~वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश पर है/अवकाश पर हैं~~/अन्य कार्यों में व्यस्त है/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25-8-2020 को पेश हो। रीडर 25-8-2020 वकील प्रार्थी उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 31-8-2020 को पेश हो। 31-8-2020 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थी का प्रा० पत्र 136 L.R.Act स्वीकार किया जाकर भूमि खाता सं० 96 जमाबंदी सं० 2072 से 2075 ग्राम टोंटोलाई में प्रार्थी के पिता का नाम नारान पुत्र धिंगा के स्थान पर नहन्या पुत्र धिंगा संशोधित करने का आदेश दिया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:30:15 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
122/2019	9.10.2019	31.8.2020

[illegible] पुत्र नहन्या, गुर्जर निवासी टोटोलाई तहसील गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :—श्री गजेन्द्र कुमार सैनी, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के पिता की खातेदारी की भूमि ख०नं० 41 रकबा 0.52 है०, ख०नं० 42 रकबा 0.19 है०, ख०नं० 43 रकबा 0.44 है०, ख०नं० 44 रकबा 0.34 है०, ख०नं० 45 रकबा 0.21 है०, ख०नं० 46 रकबा 0.33 है०, ख०नं० 48 रकबा 0.35 है०, ख०नं० 48 रकबा 0.35 है०, ख०नं० 49 रकबा 0.30 है०, ख०नं० 53 रकबा 0.33 है०, ख०नं० 58 रकबा 0.12 है०, ख०नं० 58/628 रकबा 0.68 है०, ख०नं० 60 रकबा 0.15 है०, ख०नं० 61 रकबा 0.52 है०, ख०नं० 63 रकबा 0.44 है०, ख०नं० 64 रकबा 0.29 है०, ख०नं० 65 रकबा 0.46 है०, ख०नं० 70 रकबा 0.43 है०, ख०नं० 71 रकबा 0.05 है०, ख०नं० 72 रकबा 1.20 है० कुल किता 19 कुल रकबा 7.35 है० ग्राम टोंटोलाई में स्थित है। इस भूमि में प्रार्थी के पिता का 1/16 हिस्सा रहा है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 30.3.1996 को हो चुकी है। उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम नारान दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम नहन्या है। ग्राम टोटोलाई में प्रार्थी के पिता के नाम अन्य भूमि स्थित रही है जिनका विरासत का नामान्तरकरण प्रार्थी के नाम खुल चुका है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम नहन्या ही अंकित है। नहन्या एवं नारान एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता का नाम नहन्या ही अंकित है। प्रार्थी के पिता के नाम की गलती के कारण इस भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थी के नाम नहीं खुल पा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पिता का नाम नारान की नहन्या संशोधित किए जाने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:30:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ।

अप्रार्थी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी के पिता का नाम के सम्बन्ध में मजमे आम में जानकारी की गई जिसके अनुसार ग्राम में नहन्या पुत्र छिंगा व नारान पुत्र छिंगा एक ही व्यक्ति होना पाया गया । ग्राम में नहन्या नाम का दूसरा व्यक्ति भी है परन्तु उसके पिता का नाम भौरया है। अप्रार्थी ने प्रार्थी के पिता का नाम नारान के स्थान पर नहन्या शुद्ध किया जाना उचित बताया है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 ग्राम टोंटोलाई खाता संख्या 96, 7, फोटोकोपी पर्चा लगान भू–प्रबन्ध विभाग, फोटोकोपी राशनकार्ड प्रार्थी, फोटोकोपी आधार कार्ड प्रार्थी, फोटोकोपी मतदाता पहचान पत्र प्रार्थी प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि प्रार्थी के पिता का सही नाम नहन्या है परन्तु वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम नारान दर्ज हो रहा है। इसकी दुरूस्ती फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम नहन्या है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम नहन्या दर्ज है। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख में नारान के स्थान पर नहन्या दुरूस्त किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम टोंटोलाई की जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 96 में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम नारान पुत्र छिंगा के स्थान पर नहन्या पुत्र छिंगा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

पत्रावली फैसलशुदा होकर नियमानुसार कार्य हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.8.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:30:15 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी